

**न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)**

**दाण्डिक प्र0कं0-09/2012**  
**संस्थित दिनांक-10.01.2012**  
**फाई.नंबर 234503000592012**

म0प्र0राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी  
केन्द्र-बैहर जिला-बालाघाट (म0प्र0)

.....**अभियोजन**

**!! विरुद्ध !!**

नारायण उर्फ हेमन्त उर्फ गोलू पिता शिवकुमार सारथी,  
उम्र-25 वर्ष, निवासी गौतम नगर महादेव घाट रोड वार्ड नंबर 59  
थाना आजाद चौक जिला रायपुर छ0ग0।

.....**आरोपी**

**!! निर्णय !!**

( दिनांक **13/06/2018** को घोषित किया गया। )

1. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 30.12.2011 को समय 18:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत मुक्की पीपल रिसोर्ट के आगे लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.07एम.0257 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर जिप्सी क्रमांक सी.जी.04बी.4482 को टक्कर मारकर उसमें सवार आहत प्रेमसिंह, अनिताबाई, प्रीति तथा संतोष को साधारण उपहति कारित करने, इस प्रकार धारा 279, 337(चार शीर्ष) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।
2. प्रकरण में अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 30.12.2011 को रात लगभग 8:00 बजे फरियादी संतोष अपने वाहन जिप्सी क्रमांक सी.जी.04बी.4482 से बैहर से मंजीटोला के लिए निकला था। वाहन में फरियादी की पत्नि, बच्चे और खापा निवासी प्रेमसिंह बैठा हुआ था। उसी समय पीपल रिसोर्ट के पास मुक्की तरफ से आरोपी इनोवा कार क्रमांक सी.जी.07एम.0257 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और फरियादी की कार में टक्कर मार दिया, जिससे फरियादी संतोष के बांये हाथ तथा उसकी पत्नि के दांये पैर,

प्रेमसिंह के दाहिने पैर में हल्की चोटें आईं। घटना के उपरांत फरियादी संतोष ने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में किया था, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक-136/11 धारा 279, 337 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी के वाहन को जप्त किया गया। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है व बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

5. **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक 30.12.2011 को समय 18:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत मुक्की पीपल रिसोर्ट के आगे लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.07एम.0257 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहतगण प्रेमसिंह, अनिताबाई, प्रीति तथा संतोष को साधारण उपहति कारित किया ?

**:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के तथ्य ::**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02**

6. सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या आहतगण प्रेमसिंह, अनिताबाई, प्रीति तथा संतोष को दुर्घटना में उपहति कारित हुई थी ? प्रेमसिंह अ.सा.01 ने बताया कि घटना करीब दो वर्ष पूर्व रात 8:00 बजे की है। वह संतोष की जिप्सी से मुक्की की ओर जा रहा था। उसी समय इनोवा ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया, जिससे जिप्सी में बैठे लोगों को हल्की चोटें आई थी।

7. डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.02 ने बताया है कि दिनांक 30.12.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में उसने आहत प्रेमसिंह पिता फूलसिंह उम्र 23 वर्ष का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के बांये पैर में दर्द था तथा कोई बाहरी चोट नहीं होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.02 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत अनिता पति संतोष का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के दाहिने पैर में दर्द था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.03 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत प्रीति पिता संतोष का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के दाहिने घुटने पर दर्द था तथा कोई बाहरी चोट नहीं थी, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.04 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत संतोष पिता सोनसिंह का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के बांये भुजा में दर्द होना पाया था तथा कोई बाहरी चोट नहीं थी, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.05 है। इस प्रकार आहतगण के शरीर पर चिकित्सक ने दर्द होना बताया है तथा कोई बाहरी चोट नहीं होना बताया है, जिससे आहतगण को साधारण उपहति होना प्रकट होता है।

8. अब प्रकरण में यह विचारणीय है कि क्या आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी.07एम.0257 को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाकर आहतगण संतोष, प्रेमसिंह, प्रीति तथा अनिता का दुर्घटना कारित किया गया ? प्रेमसिंह अ.सा.1 ने बताया है कि वह आरोपी नारायण को नहीं पहचानता है। घटना दो-तीन वर्ष पूर्व बैहर के नाले के पास रात 8'00 बजे की है। घटना के समय वह संतोष की जिप्सी में बैठकर मुक्की की ओर जा रहा था। वे लोग अपनी दिशा से जा रहे थे, तभी नाले के पास इनोवा चालक ने तेजी से उनकी दिशा में आकर जिप्सी को टक्कर मार दिया, जिससे उन्हें हल्की चोटें आईं। आरोपी तेज गति से विपरीत दिशा में आकर दुर्घटना किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उनके वाहन को संतोष चला रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी का पंजीयन नंबर नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। यह भी स्वीकार किया है कि वह जिप्सी वाहन के पीछे बैठा

था, इसलिये किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी वह नहीं बता सकता। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने किसकी लापरवाही से घटना हुई यह नहीं बताया है। अन्य आहत साक्षी के अदम पता होने से अभियोजन द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया गया है।

9. रामभजन साहू अ.सा.03 ने बताया है कि थाना बैहर के अपराध क्रमांक 136/11 धारा 279, 337 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 31.12.2011 को उसने संतोष की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.06 तैयार किया था। उक्त दिनांक को प्रार्थी संतोष, गवाह प्रेमसिंह तथा दिनांक 10.01.2012 को अनिताबाई तथा प्रीति के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 31.12.2011 को घटनास्थल से वाहन की फाईबर बॉडी और कांच के टुकड़े जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था। दिनांक 10.01.2012 को ही वाहन इनोवा क्रमांक सी0जी0-07एम.0257 को आरोपी से गवाह राजेन्द्र व महिपाल के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था। आरोपी नारायण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-08 तैयार किया था। प्रधान आरक्षक इंजनसिंह मर्सकोले ने फरियादी संतोष की मौखिक शिकायत पर वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.07एम.0257 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/11 धारा 279, 337 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 पंजीबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लिख लिया था और संपूर्ण कार्यवाही थाने में बैठकर कर लिया था।

10. इस प्रकार आहत प्रेमसिंह ने आरोपी की पहचान नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं है। साक्षी प्रेमसिंह ने यह भी स्वीकार किया है कि वह जिप्सी वाहन के पीछे बैठा था, इसलिये किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की लापरवाही से ही दुर्घटना हुई थी यह नहीं बताया है और ना ही आरोपी की पहचान किया है। प्रकरण के फरियादी संतोष तथा अन्य साक्षीगण के अदम पता

होने से अभियोजन द्वारा उनका परीक्षण नहीं कराया जा सका है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत अशोक पवार बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2009 (5) एम.पी.एच.टी. 405 म.प्र. एवं स्टेट ऑफ़ एम.पी. बनाम कन्हैयालाल, 2010 कि.लॉ.रि. 370 एवं स्टेट ऑफ़ हिमाचल प्रदेश विरुद्ध जवाहरलाल जिंदल 2011, कि.लॉ.ज.3827— अवलोकनीय है।

11. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 30.12.2011 को समय 18:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत मुक्की पीपल रिसोर्ट के आगे लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.07.एम.0257 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर जिप्सी क्रमांक सी.जी.04बी.4482 को टक्कर मारकर उसमें सवार आहत प्रेमसिंह, अनिताबाई, प्रीति तथा संतोष को साधारण उपहति कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 279, 337(चार शीर्ष) भा.दं. वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपी के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

13. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन इनोवा क्रमांक—सी.जी.07एम.0257 आवेदक पुरुषोत्तम पिता फिरलूमल सारथी, उम्र—65 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 59 गौतम नगर रायपुर थाना आजाद चौक रायपुर जिला रायपुर छ0ग0 की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये। प्रकरण में जप्त वाहन की फाईबर बॉडी का टुकड़ा तथा

// 6 //

दाण्डिक प्र०कं०-09/2012

कांच का टुकड़ा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर नष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / —  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला—बालाघाट(म.प्र.)

सही / —  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला—बालाघाट(म.प्र.)

सामान्य  
(शासकीय / विधि)

सामान्य जानकारी हेतु  
/ विधिक उपयोग